सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं हेतु कार्य संहिता

एवं

सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं के नियोक्ताओं हेतु कार्य संहिता

सितम्बर 2002

सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं के नियोक्ता

प्रस्तावना

इस दस्तावेज में सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं एवं सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं के नियोक्ताओं की सम्मत कार्य संहिता है जिसमें आचरण एवं कार्य के ऐसे मानकों का उल्लेख है, जिनके तहत उन्हें कार्य करना चाहिए । यह प्रस्तावना भी सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं हेतु कार्य संहिता की ही एक रूप हैं, जोकि आपकों यह समझने में सहायता करता है कि संहिता क्या है और एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता, नियोक्ता, सेवा प्रयोक्ता, आम व्यक्ति होने के नाते आपके लिए उनका क्या अर्थ है।

जनरल सोशल केयर कांउसिल ने 1 अक्टूबर 2001 को उसी समय अपना कार्य करना प्रारम्भ किया जिस समय आपरलैंड सोशल केयर काउंसिल, स्कॉटिश सोशल सर्विसिज कांउसिल एवं वेल्स केयर कांउसिल ने अपना कार्य शुरू किया । काउंसिल का यह कर्तव्य है कि वह कार्य संहिता का विकास करे एवं सामाजिक परिचर्या सेवाओं के मानकों को बढ़ाने में अपने योगदान से इन संहिताओं को विकासित करने में एक साथ मिलकर कार्य करें।

इस दस्तावेज में कार्यकर्त्ताओं एवं नियोक्ताओं, दोनों के लिए ही संहिता दी गयी है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के पूरक है एवं उच्च मानकों को सुनिश्चित करने में नियोक्ताओ एवं कार्यकर्त्ताओं के संयुक्त उत्तरदायिव का आईना है।

संहिताएं क्या हैं?

सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं के नियोक्ताओ की कार्य संहिता, सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं के नियमन में नियोक्ताओं की जिम्मेदारी निश्चित करती है। यह पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के मानक बनाए गए है । संहिता यह उम्मीद रखती है कि जो मानक उनकी संहिता में बनाए गए हैं, नियोक्ता उनका अवश्य पालन करे। सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को उनकी संहिता का पालन करने में उनकी सहायता करें और कार्यकर्त्ता जब अपेक्षित आचरण का पालन न करें तो सुमचित कार्रवाई करें ।

सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं की कार्य संहिता विवरणों की वह सूची है , जिसमें व्यवसायिक आचरण एवं कार्य के मानकों का उल्लेख है और जिसकी सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को अपने दैनिक कार्यो में आवश्यकता होती है । यह भी पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के मानक बनाए गए हैं। यद्यपि काफी नियोक्ता स्थानीय स्तर अपने अपने स्थान पर इसी प्रकार के मानक अपनाए हुए है। मंशा यह है कि सामाजिक परिचर्या में अपेक्षित मानकों की पुष्टि हो एवं यह सुनिश्चित हो कि कार्यकर्त्ता यह जाने कि नियोक्ता, सहकर्मी, प्रयोक्ता देखरेख करने वाले जनसामान्य उनसे किस प्रकार के मानक आचरण की अपेक्षा रखते है।

संहिता वर्तमान के अच्छे कार्यो में परिलक्षित होनी चाहिए एवं यह माना जाता है कि कार्यकर्त्ता एवं नियोक्ता संहिता से जाने जाएंगे, जो कि उन मानको के सहभागी होते है, जिनकी वे पहले ही आकांक्षा रखते है। काउंसिल बडे पैमाने पर संहिता उपलब्ध कराकर इन मानकों को बढावा देगी।

संहिताओं का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा ?

इंग्लैड के चार देशो में सामाजिक परिचर्या हेतु नियमन प्रणाली को प्रारम्भ करने में संहिताएं एक प्रमुख कदम है । सामजिक परिचर्या में कार्य करने वालों के पंजीकरण हेतु काउंसिल उतरदायी होगी। रजिस्टर एक सार्वजानिक रिर्काड होगा कि जो भी पंजिकृत हुए हैं, उन्होने रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि की शर्त को पूरा कर दिया है और सामाजिक परिचर्या कार्यकत्ताओं हेतु कार्य संहिता में दिए गए मानकों का पालन करने के लिए वे सहमत हो गए हैं।

कांउसिल दुर्व्यवहार के मामलों पर विचार करते हुए सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं हेतु कार्य संहिता में बनाए गए मानकों का अवलोकन करेगी एवं निर्णय लेगी कि क्या एक पंजीकृत कार्यकर्त्ता को रजिस्टर पर रखना चाहिए।

आपके लिए संहिता का क्या अर्थ होगा ?

एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता होने के नाते आपके पास अपने कार्य को निर्देशित करने का मापदण्ड होगा एवं आप इस बारे में स्पष्ट होंगे कि आचरण के कौन से मानक अपनाएं जाएंगे। आप अपने कार्यो की परीक्षा के लिए संहिता का प्रयोग करने के लिए उत्साहित होंगे एवं आप ऐसे क्षेत्रों की तलाश करेंगे जिसमें आप सुधार कर सकते हैं।

एक सामाजिक परिचर्या नियोक्ता होने के नाते आप यह जान जाएंगे कि आप कार्यबल के नियमन में कौन सी भूमिका निभाएंगे । आप उच्च गुणवत्ता की सामाजिक परिचर्या का समर्थन करेंगे। आप संहिता में बनाए गए मानकों के अनुरूप स्वंय के कार्यो एवं नीति मानकों की समीक्षा के लिए उत्साहित होगें ।

एक प्रयोक्ता या सामान्य व्यक्ति होने के नाते संहिता आपकों इस बात को जानने में मदद करेगी कि एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता का आपके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए और सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं द्वारा अपना कार्य भंली प्रकार करने हेतु नियोक्ताओं द्वारा उनकी किस प्रकार सहायता की जानी चाहिए ।

सामाजिक परिचार्य कार्यकर्त्ताओं के नियोक्ताओं हेतु कार्य संहिता

इस संहिता का उद्देश्य सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं के निययन हेतु नियोक्ताओं की जिम्मेदारी निर्धारित करना है । कार्यबल निययन का उद्देश्य सेवा प्रयोक्ता एंव परिचर्या करने वालों के हितों की रक्षा प्रोन्नति करना है। संहिता का उद्देश्य नियोक्ताओं की वर्तमान नीतियों को दोहराने या बदलने की बजाय उनकों सम्पूरक बनाना है और यह नियमन, आवश्यकताओं एवं मार्ग दर्शन के एक विस्तृत पैकेज का एक अंश है, जो कि स्टाफ के नियोजन से सम्बन्धित है। इस संहिता में बनाए गए मानकों का पालन करने, उच्च गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने, लोक विश्वास प्रोन्नत करने एवं सामाजिक परिचर्या सेवाओं में जन विश्वास प्रोन्नत करने एवं विश्वास बनाए रखने का उत्तरदायित्व निश्चित करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है।

पदस्थिति

राष्ट्रीय परिचर्या मानक आयोग एवं सामाजिक सेवाएं निरीक्षणालय अपने परिचर्या मानकों के लागू करने में इस संहिता पर ध्यान देगी ।

सामाजिक परिचर्या कार्यबल, सामाजिक परिचर्या नियोक्ताओं के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य पूरा रिना ।

- यह सुनिश्चित करना कि कार्यबल मे आने वाले व्यक्ति उपयुक्त है और वे अपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्व को समझते है ।
- (जी एस सी सी) सामाजिक परिचर्या कार्यकत्ताओं हेतु कार्य संहिता। जनरल सोशल केयर काउंसिल सामाजिक परिचर्या कार्यकत्ताओं हेतु लिखित नीतियां एवं प्रकियाएं बनाना
- सामाजिक परिचर्या कार्यकत्ताओं को उनकी कुशलताओं एवं ज्ञान को विकसित एवं सुदृढ़ करने हेतु प्रशिक्षण एवं विकास के अवसर प्रदान करना ;
- खतरनाक, भेदभावपूर्ण या शोषणा करने वाले व्यवहार एवं पद्वतियों से निपटने के लिए लिखित नीतियों एवं प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करना।
- जी एस सी सी की कार्यवाहियों के साथ सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता, सेवा प्रयोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों के लिए जी एस सी सी की कार्य संहिता को प्रोन्नत करना ।

1. एक सामाज्कि परिचर्या नियोक्ता होने के नाते आप यह सुनिश्चित करें की सामाजिक परिचर्या कार्या में आने वाले व्यक्ति उपयुक्त है और वे अपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्व को समझने वाले हैं।

यह सम्मलित है:

1.1 इस बात पर घ्यान केन्द्रीत करते हुए कि केवल वही व्यक्ति जिन्हें सही जानकारी एवं कुशलता हासिल हो और जो सही तरह से सामाजिक परिचर्या करने के लिए उपयुक्त हो, उनकी ही कड़ी एवं सही प्रकार से अपने कार्यबल में भर्ती एवं चयन किया जाना चाहिए।

1.2 अपराधिक रिकार्ड, सम्बन्धित रजिस्टर एवं सूचियों की जांच की जाए एवं आंवकन करें और उनकी नियुक्ति कि पुष्टि किए जाने से पूर्व यह देखे कि जिस कार्य के लिए इन व्यक्तियों का चयन किया गया है क्या वे उसके लिए उपयुक्त हैं ।

1.3 विश्वासनीय संदर्भो कि तलाश एवं प्रदान करना ;

1.4 स्टाफ को उनके कार्यो एवं उत्तरदायित्वों, सम्बंन्धित कानूनों एवं संगठनात्मक नीतियों एवं प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट रूप सूचना देनी चाहिए, जिनका वे अपने कार्यो में अनुसरण करते हैं ।

1.5 उच्च गुणवत्ता वाली सेवा एवं परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ एवं संगठन निष्पादन का प्रबन्धन करना ।

2. एक सामाजिक परिचर्या नियोक्ता होने के नाते सामाजिक परिचर्या क कार्यकर्त्ताओं के जी एस सी सी के सामाजिक परिचार्य कार्यकर्त्ताओं हेतु कार्य संहिता अपनाने हेतु कार्यस्थल पर लिए लिखित नीतियां एवं पद्वतियॉ होनी चाहिए ।

यह सम्म्लित है :

2.1 गोपनीयता ; समान अवसर; जोखिम आकलन; वस्तु दुरूपयोग ; रिकाॅड रखना; सेवा प्रयोक्ता एवं परिचर्या करने वालों से धन या व्यक्तिगत उपहार स्वीकार करने के कार्यान्वयन एवं संहिता की लिखित नीतियां ।

2.2 सहायक स्टाफ के प्रभावी कार्य एवं अच्छे आचरण और उनके निष्पादन में आने वाली कमियों को दूर करने हेतु पर्यवेक्षण स्टाफ द्वारा प्रभावी प्रबन्धन एवं सहायता करना;

2.3 कार्य स्थान पर ऐसी प्रणाली का होना जिसके तहत सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता अपर्याप्त संसाधनों या कार्यात्मक कठिनाइयों के बारे में रिपोर्ट कर सकें, जो सुरक्षित परिचर्या एवं कार्यो के करने में दिक्कत पैदा करती हो और संबधित प्राधिकारी उन मामलों का निराकरण कर सके; एंव

2.4 जी एस सी सी के सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं हेतु कार्य संहिता अपनाने के लिए सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं की सहायता करना और उन्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करने देना जो कि संहिता के अनुपालन में कोई जोखिम डाले ।

3. एक सामाजिक परिचर्या नियोक्ता होने के नाते आपको सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण एवं विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे उनकी कुशलताओं एवं ज्ञान का विकास हो सके ।

यह सम्मलित है:

3.1 सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं द्वारा अपने कार्यो को प्रभावी तरीके से करने और नई एवं बदलती भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों हेतु तैयार करने में उनकी सहायता के लिए उन्हे प्रवेश प्रशिक्षण एवं विकास के अवसर प्रदान करें ।

3.2 सामाजिक परिचर्या एवं सामाजिक कार्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण के साथ साथ प्रभावी कार्य स्थान आकलन एवं कार्य सीखने के प्रावधान रखना ;

3.3 पंजीकरण एवं व्यवसायिक विकास को जारी रखने हेतु जी एस सी सी के पात्रता मापदण्ड को पूरा करने में पंजीकरण के आधार पर सहायक स्टाफ के पद; एवं

3.4 सहायता देने वाले सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को सही प्रकार से सहायता करें क्योंकि वे अपने कार्य के किसी पहलूओं के बारे में सही रूप से तैयार नहीं होते या वे उसे कर पाने के लिए स्वंय को योग्य नहीं समझते ।

4. एक सामाजिक परिचर्या नियोक्ता के नाते आप खतरनाक, भेदभावपूर्ण या शोषण करने वाले व्यवहार एवं पद्वति को लिखित नीतियों के तहत क्रियान्वित करें ।

यह सम्मलित है:

4.1 सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को यह बिलकुल स्पष्ट कर दें कि भयभीत करना प्रताड़ित करना या किसी तरह का अन्याय पूर्ण भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा ओर इस प्रकार के व्यवहार से निपटने के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

4.2 सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं द्वारा खतरनाक , भेदभावपूर्ण, अश्लील या शोषण करने वाला व्यवहार एवं पद्वति की रिर्पोट करने हेतु पद्वतियों की स्थापना एवं प्रोन्नति की जाएगी और इस प्रकार की रिर्पोटों पर प्रभावकारी तरीके से शीघ्र एवं खुले दिमाग से कार्रवाई की जाएगी ।

4.3 सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं, सेवा प्रायोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों को यह स्पष्ट कर दें कि हिंसा, धमकी या स्टाफ के साथ अश्लीलता बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी एवं हिंसा के जोखिम को कम करने एवं हिंसात्मक घटनाओं को रोकने हेतु स्पष्ट नीतियां एवं पद्वतियां अपनायी जाएंगी :

4.4 जिन सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को कोई सदमा लगता है या उनके कार्य में कोई हिंसा होती है तो उनकी सहायता करना :

4.5 स्टाफ कल्याण को प्रोन्नत करने एवं कार्यकर्त्ताओं को समान अवसर प्रदान करने हेतु लिखित नीतियों एवं पद्वतियों को कार्यान्वित करना: एवं

4.6 सेवा प्रायोक्ताओं की देखभाल एवं सुरक्षा आपकी प्राथमिकता है। सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं जिनका कार्य खराब स्वास्थ्य या दवाओ एवं शराब पर आश्रित है उन्हे समुचित सहायता प्रदान

करना और जब वे इलाज करा रहे हो तो उन्हें अपने कार्य की सीमाओं के बारे में सही मार्गदर्शन देना ।

5. एक सामाजिक परिचर्या नियोक्ता होने के नाते आप जी एस सी सी के सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं हेतु कार्य संहिता, सेवा प्रायोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों को प्रोन्नत करें एवं जी एस सी सी की कार्रवाहियों के साथ सहयोग करें ।

यह सम्मलित है:

5.1 सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को इस संहिता के बारे में सूचित करना एवं इनके अनुपालन का उत्तरदायित्व आपका है ।

5.2 सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को जी एस सी सी के सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं हेतु कार्य संहिता की जानकारी देना एवं उस संहिता का पालन करने की उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ।

5.3 सेवा प्रायोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों को संहिता एवं सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं हेतु कार्य संहिता के बारे में जानकारी देना और उन्हें यह बताना कि अपनी नीतियों के माध्यम से मामले किस प्रकार उठाये जाते है और यदि आवश्यक हो तो इस संहिता के बारे में जी एस सी सी से सम्पर्क करें ।

5.4 कार्यकर्त्ताओं के आचरण से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं हेतु जी एस सी सी के कार्य संहिता को ध्यान में रखे ;

5.5 पंजीकृत सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में जी एस सी सी को सूचित करें जिससे उनके पंजीकरण के बारे में सवाल उठाया जा सकता है और उसमें सम्मलित कार्यकर्त्ता को यह बता दें कि इसकी रिपोर्ट जी एस सी सी को कर दी गयी है ; एवं

5.6 जांच एवं सुनवाई में जी एस सी सी के साथ सहयोग करें एवं जी एस सी सी के निष्कर्षो के बारे में सही प्रतिक्रिया जाहिर करें ।

सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता

प्रस्तावना-

इस दस्तावेज में सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं एवं सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं के नियोक्ताओं की सम्मत कार्य संहिता है जिसमें आचरण एवं कार्य के ऐसे मानको का उल्लेख है जिनके तहत उन्हे कार्य करना चाहिए। यह प्रस्तावना में भी सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं हेतु कार्य संहिता को ही रखा गया है, जोकि यह समझने में सहायता करती है कि संहिता क्या है और एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता, नियोक्ता, सेवा प्रयोक्ता एवं आम व्यक्ति होने के नाते आपके लिए उनका क्या अर्थ है।

जनरल सोशल केयर कांउसिल ने 1 अक्टूबर 2001 को उसी समय अपना कार्य करना प्रारम्भ किया जिस समय आयरलैंड सोशल केयर कांउसिल स्कॉटिश सोशल सर्विसिज काउंसिल एवं वेल्स केयर कांउसिल ने अपना कार्य शुरू किया। काउंसिल का यह कर्तव्य है कि वह कार्य संहिता का विकास करें एवं सामाजिक परिचर्या सेवाओं के मानकों को प्रोन्नत करने में अपने योगदान से इन संहिताओं को विकसित करने में एक साथ मिलकर कार्य करें।

इस दस्तावेज में कार्यकर्त्ताओं एवं नियोक्ताओं दोनों के लिए ही संहिता दी गयी है क्योंकि वे दोनो एक दूसरे के पूरक है एवं उच्च मानकों को सुनिश्चित करने में नियोक्ताओं एवं कार्यकर्त्ताओं के संयुक्त उत्तरदायित्व का आईना है ।

संहिताएं क्या है?

सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं की कार्य संहिता विवरणों की वह सूची है जिसमे व्यवसायिक आचरण एव कार्य के मानकों को अपने दैनिक कार्यो में आवश्यक्ता है। पुन:;यह भी पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के मानक बनाये गये है। यद्यपि काफी नियोक्ता स्थानीय स्तर पर अपने स्थानों पर इस प्रकार

के मानक अपनाए हुए है। उम्मीद यह की जाती है कि सामाजिक परिचर्या में अपेक्षित मानकों की पुष्टि हों एवं यह सुनिश्चित हो कि कार्यकर्त्ता यह जाने कि नियोक्ता सहकर्मी, प्रयोक्ता , परिचर्या करने वाले जनसामान्य उनसे किस प्रकार के मानक आचरण की अपेक्षा रखते हैं ।

सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं के नियोक्ताओं की कार्य संहिता, सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं के नियमन में नियोक्तओं की जिम्मेदारी निश्चित करती हैं। यह पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के मानक बनाए गए है । संहिता यह अपेक्षा रखती है कि जो मानक उनकी संहिता में बनाए गए हैं नियोक्ता उनका अवश्य पालन करें। सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को उनकी संहिता का पालन करने में उनकी सहायता क्रें और कार्यकर्त्ता जब अपेक्षित आचारण का पालन न करें तो समुचित कार्रवाई करें।

संहिता वर्तमान के अच्छे कार्यो में परिलक्षित होनी चाहिए एवं यह माना जाता है कि कार्यकर्त्ता एवं नियोक्ता संहिता से ही जाने जाएंगे, जोकि उन मानकों के सहयोगी होते है जिनको वे पहले ही आकांक्षा रखते है । काउंसिल बडे पैमाने पर संहिता उपलब्ध कराकर इन मानकों को बढावा देगी ।

संहिताओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ?

इंग्लैंड के चार देशो में सामाजिक परिचर्या हेतु नियमन प्रणाली को प्रारम्भ करने में संहिताएं एक प्रमुख कदम है। सामाजिक परिचर्या में कार्य करने वालों के पंजीकरण हेतु काउंसिल उत्तरदायी होगी। रजिस्टर एक सार्वजनिक रिर्काड होगा कि जो भी कांउसिल पंजीकृत हुई है उन्होने रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि की शर्त को पूरा कर दिया है और सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओ हेतु कार्य संहिता में दिए गए मानकों का पालने करने के लिए वे सहमत हो गए है

काउंसिल दुर्व्यवहार के मामलों पर विचार करते हुए सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओ हेतु कार्य संहिता में बनाए गए मानकों का अवलोकन करेगी एवं निर्णय लेगी कि क्या एक पंजीकृत कार्यकर्त्ता को रजिस्टर पर रखना चाहिए ।

आपके लिए संहिता का क्या अर्थ है ?

एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता होने के नाते आपके पास अपने कार्यो को निर्देशित करने का मापदण्ड होगा एवं आप इस बारे में स्पष्ट होगें कि आचरण के कौन से मानक अपनाए जाएं। आप अपने कार्यो की परीक्षा के लिए संहिता का प्रयोग करने के लिए उत्साहित होगे एवं आप ऐसे क्षेत्रों की तलाश करेंगे, जिसमें आप सुधार कर सकते हैं।

एक सामाजिक परिचर्या नियोक्ता होने के नाते आप यह जान जाएंगे कि आप कार्यबल के नियमन में कौन सी भूमिका निभाएंगे। आप उच्च गुणवता की सामाजिक परिचर्या का समर्थन करेंगे और संहिता में बनाए गए मानकों के अनुरूप स्वंय के कार्यो एवं नीति मानकों की समीक्षा करने के लिए उत्साहित होंगे ।

एक प्रयोक्ता या सामान्य व्यक्ति होने के नाते संहिता आपको इस बात को जानने में मदद करेंगी कि एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता का आपके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए और सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं द्वारा अपना कार्य भली प्रकार करने हेतु नियोक्ताओं द्वारा उनकी किस प्रकार से सहायता की जानी चाहिए ।

सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं हेतु कार्य संहित

इस संहिता का उद्देश्य उस आचरण को स्थापति करना है जिसके माध्यम से सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओ से उसकी उममीद की जाती है एवं सेवा प्रयोक्ताओं एवं सामान्य जन को आचरण के उन मानकों के बारे मे सूचित करना है जिनकी वे सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओ से उम्मीद करते है । यह कानून, कार्य, मानक एवं नियोक्ताओं की नीतियों एव पद्वतियों का एक विस्तृत पैकेज है जिसका सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को पालन करना चाहिए । सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हे कि इस संहिता से बनाए गए मानकों से वे पीछे नहीं हटेंगे और उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य से सेवा प्रयोक्ताओं को कोई हानि नहीं होगी ।

पदस्थिति

जनरल सोशल केयर कांउसिल सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं से यह उम्मी करती हे कि वे इस संहिता का पालन करें और यदि पंजीकृत कार्यकर्त्ता अगर ऐसा करने में असफल होते है तो उनके विरूद्व कार्रवाई की जा सकती है ।

सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ताओं के नियोक्ता द्वारा अपने स्टाफ के आचरण के बारे में कोई निर्णय लेना हो तो इस संहिता को ध्यान में रखा जाए ।

सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता ये अवश्य करें :

- सेवा प्रायोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालो के अधिकारों की रक्षा एवं उनके हितों को प्रोन्नत करना ;
- सेवा प्रायोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों में साहस एव विश्वास बनाये रखने के लिए प्रयास करना ;
- सेवा प्रायोक्ताओं को जहां तक संभव हो किसी खतरे या हानि से बचाते हुए उनकी स्वतन्त्रता को प्रोन्नत करना;
- यह सुनिश्चित करने हुए कि सेवा प्रयोक्ताओं के व्यवहार से स्वंय को या किसी अन्य किसी व्यक्ति को कोई नुकसान तो नहीं है, उनके अधिकारों का सम्मान करना ;
- सामाजिक परिचर्या सेवाओं में लोगों का विश्वास बनाए रखना : एंव
- उनके कार्य की गुणवता हेतु जवाब देह होना और उनके ज्ञान एवं कुशलताओं को बनाये रखने एवं उनमें सुधार करने का उत्तरदायित्व लेना ।

1. एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता होने के नाते आपको सेवा प्रायोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके हितों को प्रोन्नत अवश्य करना चाहिए ।

यह सम्मलित है :

1.1 प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग व्यक्ति मानें

1.2 जहां कहीं उचित हो तो सेवा प्रायोक्ताओं एवं परिचर्या करने वाले दोनो के व्यक्तिगत विचारों एवं इच्छाओं का सम्मान करं एवं उन्हे प्रोन्नत करें ;

1.3 उनके जीवन को निमंत्रित करने में सेवा प्रयोक्ताओं की सहायता करे एवं जो सेवाएं वे प्राप्त करते है उनके बारे में उनकी इच्छा को बताएं ।

1.4 सेवा प्रायोक्ताओं की गरिमा एवं गोपनीयता को बनाए रखें एवं उनका सम्मान करें ।

1.5 सेवा प्रायोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों को समान अवसर प्रदान करें ।

1.6 विविध एवं अलग अलग संस्कृतियों एवं मूल्यों का सम्मान करना ।

2. एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता होने के नाते आपको सेवा प्रयोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालो में साहस एवं विश्वास बनाए रखने के लिए अवश्य ही प्रयास करना चाहिए।

यह सम्मलित है:

2.1 ईमानदार एंव विश्वसनीय बनो;

2.2 सही खुलेपन, उचित एवं स्पष्टवादिता के साथ बातचीत करो;

2.3 गोपनीय सूचनाओ का सम्मान करो एवं सेवा प्रायोक्ताओं एव परिचर्या करने वालो; की गोपनीयता के बारे में एंजेसी पॉलिसियॅा का स्पष्ट रूप से विवरण दें;

2.4 भरोसेमन्द एवं विश्वसनीय बनो;

2.5 कार्य प्रतिबद्वता समझौतों, व्यवस्याओ, का सम्मान करें और जब यह करना संभव न हो तो सेवा प्रायोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों का यह बताएं कि यह क्यों नहीं हो सका;

2.6 जिन मामलों में किसी हित की अनदेखी होने की संभावना तो उन मामलों के बारे में बताएं एवं यह सुनिश्चित करें कि वे आपके निर्णयों या कार्यो को प्रभावित नहीं करें। एवं

2.7 सेवा प्रायोक्तओं एवं परिचर्या करने वालों से उपहार एवं धन स्वीकार करने के बारे में नीतियां एवं पद्वतियों को अपनाएं

3. एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता होने के नाते आपको जहां तक संभव हो सके उन्हे खतरे एवं हानि से बचाते हुए उनकी स्वतंत्रता को बढावा देना चाहिए ।

यह सम्मलित है:

3.1 सेवा प्रायोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रयोग को समझाने में उनकी सहायता करना एवं उनकी स्वतंत्रता को बढावा देना

3.2 खतरनाक अश्लील एवं भेदभावपूर्ण एवं शोषण करने वाले व्यवहार एवं कार्यो कों चैलेज करने एवं उनकी रिपोर्ट करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं एवं पद्वतियों का प्रयोग करना।

3.3 कार्य पर हिंसात्मक एवं अश्लील व्यवहार से आपको एवं अन्य व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रक्रियाएं एवं विधियां बनायी गयी है ।

3.4 सुरक्षित परिचर्या करने के रास्ते में आने वाली संसाधन या क्रियात्मक कठिनाईयो को अपने नियोक्ता या उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लाए

3.5 जहां कही सहयोगियों के कार्य असुरक्षित हों या उनसे परिचर्या के मानकों पर बुरा प्रभाव पड़ता हो उसके बारे में अपने नियोक्ता या उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित करें।

3.6 पदार्थ के दुरुपयोग से सम्बन्धित मामलों सहित नियोक्ता की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी नीतियों का पालन करना;

3.7 सेवा प्रयोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों द्वारा शिकायत करने एवं शिकायतों को गंभीरता से सुनने में सहायता करना एवं उन्हें सुनना या उन्हें उपयुक्त व्यक्ति तक पहुचाना;

3.8 आपके कार्य में सेवा प्रयोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों द्वारा दी जाने वाली शक्ति को पहचानना एवं उत्तरदायी तरीके से उसका प्रयोग करना।

4. एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता होने के नाते आप सेवा प्रयोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करें एवं यह सुनिश्चित करें कि उनके व्यवहार से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि न हो ।

यह सम्मलित है:

4.1 इस बात को पहचानना कि सेवा प्रयोक्ता जोखिम लेने के कार्य करते रहते हैं तो उनसे स्वयं या अन्य को किसी संभावित एवं वास्तविक जोखिमों से बचाकर रखना और पहचानना;

4.2 सेवा प्रयोक्ताओं के इस व्यवहार कि क्या वे स्वयं या किसी अन्य को कोई हानि पहुंचाते हैं; का जोखिम आकलन, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा आकलन करना;

4.3 सेवा प्रयोक्ताओं द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के किसी वास्तविक या संभावित जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना; एवं

4.4 यह सुनिश्चित करें कि जोखिम आकलन के परिणामों के बारे में सभी सम्बन्धित सहकर्मियों एवं एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है।

5. एक सामाजिक परिचर्चा कार्यकर्त्ता होने के नाते आप अपने कार्य की गुणवत्ता के प्रति जबावदेह बनें एवं अपनी कुशलताओं एवं ज्ञान को बढ़ाने एवं उसके विकास की जिम्मेदारी लें।

विशेषत्या आप यह न करें:

5.1 सेवा प्रयोक्ताओं, परिचर्या करने वालों या सहकर्मियों को गाली देना या नुकसान पहुंचाना;

5.2 किसी भी प्रकार से सेवा प्रयोक्ताओं, परिचर्या करने वालों का शोषण;

5.3 सेवा प्रयोक्ताओं, परिचर्या करने वालों का विश्वास भंग या आपके पास उनके बारे में कोई व्यक्तिगत सूचना हो या उनकी सम्पति, घर या कार्य स्थान की जानकारी हो, उसका दुरुपयोग;

5.4 सेवा प्रयोक्ताओं के साथ कोई अनुचित व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाना ।

5.5 सेवा प्रयोक्ताओं, परिचर्या करने वालों या सहयोगियों के द्वारा अन्यायपूर्ण भेदभाव करना;

5.6 सेवा प्रयोक्ताओं एवं परिचर्या करने वालों एवं सहयोगियों द्वारा किये जाने वाले किसी गैर कानूनी य अन्यायपूरण भेदभाव को क्षमा करना;

5.7 अपने आपको या अन्य को अनावश्यक रूप से जोखिम में डालना; या

5.8 अपने कार्य पर या कार्य से बाहर इस प्रकार का व्यवहार करो जिससे सामाजिक परिचर्या सेवाओं में आपके कार्य की उपयुक्तता पर कोई बात न उठे।

6. एक सामाजिक परिचर्या कार्यकर्त्ता होने के नाते आप अपने कार्य की गुणवत्ता के प्रति जबावदेह बनें एवं अपनी कुशलताओं एवं ज्ञान को बढ़ाने एवं उसके विकास की जिम्मेदारी लें।

यह सम्मलित है :

6.1 न्यायपूर्ण, सुरक्षित एवं प्रभावकारी तरीके से अपने कार्यो में सम्बन्धित कार्य मानक अपनाये ;

6.2 अपने कार्य के लिए स्थापित प्रक्रियाओं के तहत सही एवं स्पष्ट रिकार्ड का रख-रखाव करे;

6.3 किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत कठिनाइयों के बारे में आप अपने नियोक्ता या उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित करें अन्यथा ये आपके द्वारा दक्षता एवं सुरक्षा से किये जाने वाले कार्यो को प्रभावित कर सकती है।

6.4 यदि आप किसी कार्य को सही रूप से करने में स्वयं को उपयुक्त नहीं मानते या आप किसी कर्य को करने के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो आप अपने नियोक्ता या उपयुक्त प्राधिकारी की सहायता लें।

6.5 अपने सहयोगियों के साथ सहयोग से कार्य करें एवं उन्हें सम्मान दें;

6.6 इस बात को मानें कि जो कार्य आपने अपने अन्य कार्यकत्ताओं को दिया है, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी ।

6.7 दूसरी एजेंसियों से आए कार्यकत्ताओं की भूमिका एवं विशेषज्ञता को पहचाने एवं उनका सम्मान करें और उनके साथ भागीदारी में कार्य करें; एवं

6.8 अपनी कुशलता एवं ज्ञान को बढ़ाने एवं उसमें सुधार करने के लिए सम्बन्धित प्रशिक्षण लें एवं उस प्रशिक्षण के द्वारा अन्य व्यक्तियों को सीखायें एवं उनका विकास करें ।

General Social Care Council
Goldings House
2 Hay's Lane
London
SE1 2HB

020 7397 5100
www.gscc.org.uk

© Copyright General Social Care Council 2002